

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, मध्याचल विद्युत वितरण खण्ड

उ.प्र. पॉवर कारपोरेशन लिमिटेड, पूरनपुर (पीलीभीत)

पत्रांक 1609 नि.वि.ख.पू./एल.एण्ड टी. दिनांक 08/05/2023

प्रा०स० पी. रू० प्रकमण शुल्क रसीद संख्या दिनांक

विषय: निजी नलकूप एवं बत्ती प्राप्त करने हेतु नियम व शर्तें सेवा में

श्रीमान/श्रीमती सोनालाल सिंह आत्मज श्री तारासिंह ग्राम  
डा० युधमपुर् ब्लॉक पूरनपुर जिला-पीलीभीत  
महोदय

आपके प्रार्थना पत्र 3HP के सम्बन्ध में आपको सूचित किया जाता है कि आपने नलकूप के लिए अश्वशक्ति (H.P.) तथा पंखरा बत्ती के लिए 120 वॉट के कनेक्शन देने हेतु निम्नलिखित शर्तों सहित प्रस्ताव प्रस्तुत किया है।

- (क) सर्विस कनेक्शन चार्जज रूपया 20362.00 केबिल की कीम  
(ख) फिक्स चार्जज रूपया 2872.20  
(ग) सिस्टम लोडिंग चार्जज रूपये M.L.  
(घ) प्रतिभूति के रूप में (Security) निजी नलकूप रू० 9000.00 पंखरा बत्ती रू० 1000.00  
कुल योग (अंकों में) 59082.00 (शब्दों में) पान हवा सीत 3.6 वॉट
- आपके कनेक्शन के लिए कारपोरेशन द्वारा निर्धारित 300 मीटर से अधिक लाइन बढ़ने पर रू० का धन अधिक जमा करना होगा जो किसी भी परिस्थिति में वापस नहीं किया जायेगा।
- मीटर निरीक्षण शुल्क को राजकीय कोष में XIII Other Taxes and Duties From B.E. के अन्तर्गत रू० जमा करना होगा।
- आपके नलकूप को कनेक्शन देने हेतु रू० का व्यय भार कारपोरेशन को वहन करना होगा। जबकि निगम द्वारा इस मद में रू० की स्वीकृति प्रदान की गई है। अतः यदि आप बढत (Excess) रू० को जमा कर देते हैं तो वह 6 रू० प्रतिशत वार्षिक ब्याज के 5 वर्षों बाद अर्द्धवार्षिक किश्तों में वापस कर दिया जायेगा।
- आपको अपने कनेक्शन के लिए स्वयं सम्बन्धित 33 कें.वी. विद्युत सब स्टेशन/स्टोर सेन्टर पीलीभीत में अपने बहन से ढलाई करनी होगी तथा सामान की ढुलाई के साथ कारपोरेशन का कुशल श्रमिक (Skilled Labour) के साथ जायेगी तथा शीघ्र कार्य शुरू कर दिया जायेगा।
- आपको अपनी लाइन बनाने हेतु आवश्यक ईट, बालू तथा सीमेन्ट का प्रबन्ध नीचे लिखी मात्रा में करना है  
(क) ईट रोड़ी Cft (ख) बालू Cft (ग) सीमेन्ट बैग
- आपसे सर्विस कनेक्शन चार्जज में केबिल का मूल्य नहीं लगाया जा रहा है। अतः कनेक्शन हेतु केबिल का प्रबन्ध आप स्वयं करेंगे।
- कनेक्शन हेतु लाइन बनाने के लिए की आवश्यकता रहेगी उसका भी आपको प्रबन्ध करना हो। यदि आप को ऊपर लिखी शर्तें मान्य हों तो आप किसी भी कार्य दिवस में 10 बजे प्रातः से 12 बजे दोपहर तक दो गवाहों सहित अधिशासी अभियन्ता के कार्यालय में पधार कर एग्रीमेन्ट पर हस्ताक्षर कर दें।  
(1) आप नान जुडिशियल 100.00 रू० का जनरल स्टाम्प 1 रू० की रसीदी टिकिट (Revenue Stamp) साथ लायें।  
(2) आपका अनुबन्ध तभी किया जायेगा जब आपका वायरिंग पूरा होगा एवं बी.एण्ड एल. फार्म और मोटर निरीक्षण शुल्क बैंक में जमा किया हुआ चालान फार्म (Meter Inspection Fee) साथ लायेंगे।

नोट: कि आप उपरोक्त शर्तें इस पत्र के पान के 90 दिन बाद पूरा नहीं करते हैं तो समझा जायेगा कि आपको कनेक्शन की जरूरत नहीं है आप आपका जमा प्रकरण शुल्क रू० जबर्र हो जायेगा।

नोट: संयोजन वित्तीय वर्ष 2023-24 में समुचित लक्ष्य प्राप्त होने पर ही ऊर्जाकृत किया जायेगा।

पत्रांक / वि.वि.ख.पू./  
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- मुख्य विकास अधिकारी, पीलीभीत।
- उपखण्ड अधिकारी विद्युत वितरण उपखण्ड, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ पीलीभीत, बीसलपुर, पूरनपुर, पीलीभीत को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

अधिशासी अभियन्ता

